6/10/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया वकील अप्रार्थीगण ने पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान नहीं करने का कथन करते हुये पुनः सीमाज्ञान करने का कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2019 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 42, 60, 62 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः पड़ौसी खातेदारान व प्रार्थी को सूचित कर नवीन नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान 14.06.2021 कर निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 42, 60, 62 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी एवं पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर नवीन नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 निर्विवादित रहने की स्थिति में पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner